

न्यायपालिका उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(डी.पी.ओ. अधिकारी) राजस्थान भूपण गायल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशाल संख्या: 842/2021

निर्णय दिनांक :- 10/11/2021

उनवाली प्रार्थना पत्र :

महावीर

बनाम तहसीलदार

देवली

उपरि

प्रार्थना

तहसीलदार देवली

परिपत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

महावीर

निवासी देवली ने प्रशासन गांवो

के सांघो में नोम्प/न्यायपालिका में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम

जयपुर जिला 2071-74 के खाता संख्या 381 में दर्ज प्रार्थी का नाम रामपाल

पुत्र देवली के स्थान पर महावीर पुत्र देवली

दुरुस्त कर रिपोर्ट पेश करने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली

पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार देवली से

कराई। तहसीलदार देवली ने पटवार हल्का देवली व भू0अ0नि0 मातेडा की

रिपोर्ट दर्ज प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा की।

परिपत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली

गई। तहसीलदार देवली से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन

किया गया। परिपत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

परिपत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का

स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:-

4(1)राजस्थान 202/19 के तहत तहसीलदार देवली को वाके ग्राम देवली जमाबंदी

संवत् 2066 बी.के. के खाता संख्या 381 में दर्ज रामपाल पुत्र देवली

के स्थान पर महावीर पुत्र देवली

दुरुस्त कर रिपोर्ट पेश करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति

तहसीलदार देवली को प्रार्थी के माध्यम से प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

दाखिल किया गया।

निर्णय/आदेश के तहत इजलास, कैम्प देवली में सुनाया गया।

11/11/21

उपखण्ड अधिकारी
देवली